निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

14 भाद्र 1935 (श0)

(सं0 पटना 699) पटना, वृहस्पतिवार, 5 सितम्बर 2013

सं0 3/एफ–04–01/1999—9147/वि0,

वित्त विभाग

———

संकल्प

4 सितम्बर 2013

विषयः–**राज्य सरकार के स्वशासी निकायों/संस्थानों से राज्य सरकार में प्रतिनियुक्ति करने के संबंध में।**

वित्त विभागीय संकल्प संख्या 6655 दिनांक 21.07.11 द्वारा राज्य सरकार के स्वशासी निकायों/संस्थानों से राज्य सरकार में प्रतिनियुक्ति संबंधी रोक को निरस्त करते हुए संकल्प में परिशिष्ट के अन्तर्गत बोर्ड/निगम के कर्मियों को राज्य सरकार के अधीन विभागों/कार्यालयों में प्रतिनियुक्ति की पात्रता/प्रक्रिया/शर्तों का निर्धारण किया गया था।

(2) विभिन्न बोर्ड/निगम के संघों के द्वारा वित्त विभागीय संकल्प संख्या 6655 दिनांक 21.07.11 के परिशिष्ट के अन्तर्गत पात्रता के कंडिका–02 में प्रतिनियुक्ति किये जाने वाले कर्मी की आयु सीमा 55 वर्ष को क्षांत करने का अनुरोध के आलोक में दिनांक 19.04.2012 को विकास आयुक्त की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गयी जिसमें निम्न निर्णय लिये गये जिसे वित्त विभागीय पत्रांक 8044 दिनांक 03.08.12 द्वारा विभागों को प्रचारित किया गया।

(क) सभी विभाग तत्काल अपनी रिक्तियों की समीक्षा करें और उनके विरूद्ध निगमों से प्रतिनियुक्ति हेतु विज्ञापन निकालने की कार्रवाई करें ताकि इन निगमों/बोर्डों के कर्मियों को प्रतिनियुक्ति के नियमों के तहत वेतन भुगतान प्राप्त हो।

(ख) प्रतिनियुक्ति हेतु अधिकतम उम्र 55 वर्ष पर कोई संशोधन की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सेवा निवृत्ति के कम से कम छः माह पूर्व उनकी सेवाएँ पैतृक निगम को लौटाना भी होता है।

(ग) प्रतिनियुक्ति और सरकारी सेवा में समायोजन के विषय को एक साथ न जोड़ा जाय।

(घ) इस हेतु प्रशासी विभाग अपने अधीनस्थ बोर्ड/निगम के कार्यरहित कर्मियों के प्रतिनियोजन के लिए पदवार पात्रता एवं शर्तों का निर्धारण कर निगमों को विज्ञापित कर आवेदन आमंत्रित करने एवं प्रक्रियानुसार उन आवेदकों में से सुयोग्य आवेदकों को चयनित कर आवश्यकता आधारित पदों पर प्रतिनियोजित करने के लिए विभागीय सचिव/प्रधान सचिव सक्षम प्राधिकार होंगे।

(3) उपरोक्त के आलोक में वित्त विभागीय संकल्प संख्या 6655 दिनांक 21.07.11 के परिशिष्ट भाग के प्रक्रिया निर्धारण संबंधी कंडिका–02 एवं 04 को निम्न रूप से प्रतिस्थापित करने का निर्णय राज्य सरकार का हैः–

(क) सभी विभाग तत्काल अपनी रिक्तियों की समीक्षा करें और उनके विरूद्ध निगमों से प्रतिनियुक्ति हेतु विज्ञापन निकालने की कार्रवाई करें ताकि इन निगमों/बोर्डों के कर्मियों को प्रतिनियुक्ति के नियमों के तहत वेतन भुगतान प्राप्त हो।

(ख) इस हेतु प्रशासी विभाग अपने अधीनस्थ बोर्ड/निगम के कार्यरहित कर्मियों के प्रतिनियोजन के लिए पदवार पात्रता एवं शर्तों का निर्धारण कर निगमों को विज्ञापित कर आवेदन आमंत्रित करने एवं प्रक्रियानुसार उन आवेदकों में से सुयोग्य आवेदकों को चयनित कर आवश्यकता आधारित पदों पर प्रतिनियोजित करने के लिए विभागीय सचिव/प्रधान सचिव सक्षम प्राधिकार होंगे।

(i) संकल्प के परिशिष्ट में अंकित शर्त संख्या (V) को विलोपित किया जाता है साथ ही शर्त संख्या (iii) एवं (x) में संबंधित विभाग/कार्यालय प्रधान के स्थान पर संबंधित विभागीय प्रधान सचिव/सचिव सक्षम प्राधिकार होंगे।

(ii) शर्त संख्या–(xvi) में अंकित ''एक वर्ष पूर्व संबंधित कर्मी की सेवा स्वतः संबंधित बोर्ड/निगम को वापस हो जायेगी'' को कम करते हुए एक वर्ष पूर्व के स्थान पर छः माह किया जाता है।

आदेशः–**आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राज्य पत्र के अगले अंक में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाय।**

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
संजीव हंस,
सचिव (संसाधन) ।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 699-571+10-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in